प्रकरण संख्या 22/2024 श्रीमती पुष्पा व अन्य बनाम शिवलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.02.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 645 से 648, 775, 776, 797 से 799, 1748, 1749, 1792 से 1795, 1969 से 1972, 1975 कुल किता 20 रकबा 2.1900 हैक्टर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष केरिंग जी वारिस हैं। प्रार्थीगण केरिंग के पौत्र वरदा की पुत्रियां हैं। उक्त आराजियात में प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 7 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा है। विपक्षी संख्या 1 से मिलीभगमत कर भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है तथा प्रार्थीगण की भूमि हड़पना चाहते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को ताफैसला मूलवाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 11.06.2024 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 4 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भूरालाल डांगी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित भूमि में भेरा का 1/2 हिस्सा तथा वरदा व चोखा का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है। अपीलान्टगण मृतक वरदा की पुत्रियां हैं तथा विवादित	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:26:12 IST
Reason: SelfAttested

भूमि में उनका 1/6 हिस्सा निहित है, किन्तु अपीलान्ट/प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.06.2024 अपास्त किया जावे तथा विपक्षीगण/रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि वरदा देवा का पुत्र नहीं होकर अमरा का पुत्र है। इसके अलावा अपीलान्टगण द्वारा सभी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। विवादित आराजीयात से अपीलान्ट/प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपीलान्टगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट/प्रार्थीगण विवादित आराजियात की न रेकार्डेड खातेदार है न ही सहखातेदार। अधीनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनकर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर विस्तृत विवेचन करते हुए रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं किया जाना मानते हुए अपीलान्ट/प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 36/2024 निर्णय दिनांक 11.06.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 05.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन सक्षम अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:26:12 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:26:12 IST
Reason: SelfAttested